न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 67 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

1. पूरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ा भाटियान तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
2. खेतसिंह पुत्र लालसिंह जातियान राजपूत निवासी डाबड भाटियान तहसील सिणधरी जिला– बाडमेर हाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

1.मूलाराम पुत्र भूराराम जाति सुथार निवासी–मीठिया
2. सोनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी डाबड़
3. लाभुराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी डाबड़
4. धनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी डाबड 15. श्रीमती जेठी पत्नी हरदानराम जाट निवासी–डाबड
6. करनाराम पुत्र तुलसाराम जाट,
7. हडमानराम पुत्र रतनाराम जाट
8. मांगू कंवर पत्नी पूरसिह जाति राजपूत
9. तनुकंवर पत्नी गणपतसिंह
10. ललीताकंवर पत्नी वैरीशालसिंह
11. कदम कंवर पत्नी ईश्वरसिंह
12. सम्पतकंवर पत्नी श्रवणसिंह
13. कमला पत्नी हडमतसिंह
14. उगमकंवर पत्नी उगमसिंह जातियान – राजपूत निवासीयान– डाभड भाटियान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
15. ईशराम पुत्र श्री कुंभाराम जाति जाट निवासी–बेरीवालों का तला के कायम मुकाम–
15 / 1 चुतराराम पुत्र ईशराम
15 / 2 पोकरराम पुत्र ईशराम
15 / 3 रावताराम पुत्र ईशराम
16. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्रीमति गीता चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 07.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190

टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डाबड़ भाटियान पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 6.0190 हैक्टेयर भूमि के चारो

रु पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी